प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
15/10/25	पक्षकारान उप0। बहस प्रा0 पत्र सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/10/25 को पेश हो। [signature]
27/10/2025	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई । प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी सं0 नयी 283 पुरानी 276 की भूमि ख0सं0 77 रकबा 38 बीघा 7 बिस्वा, ख0सं0 78 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सीतापुरा में स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 5 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 रोड के सहारे स्थित भूमि पर काबिज है उसके पश्चात प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि पर होकर अपने हिस्से की भूमि पर आते जाते है। अप्रार्थी सं0 1 लगा. 5 ताकतवर लोग है जो जबरन प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा कर उन्हे बेदखल करने एवं उनके खेत पर जाने वाले रास्ते को जबरन बंद करने पर आमदा है अप्रार्थीगण 2 बिस्वा खलियान व कुए पर भी कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जार कर पाबन्द नही किया गया तो वह प्रार्थीगण को उनके हिस्से व खाते की भूमि से बेदखल कर देंगे और प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर जाने वाले रास्ते को जबरन बंद कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण अपने खाते व हिस्से की भूमि पर जाने वाले रास्ते को जबरन बंद कर देंगे जिससे प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से महरूम हो जावेगा। अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने जवाब प्रा0 पत्र पेश कर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण की कुछ भूमि रोड के सहारे है और कुछ भूमि प्रार्थीगण के पीछे स्थित है। प्रार्थीगण का रास्ता बन्द नही किया गया है बल्कि अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में 25 फिट चौडा रास्ता कुए तक जाता है जहॉ से प्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि पर निकल जाते है। कुए पर सभी पक्षकारो ने अपने अपने मकान बना रखे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में जहॉ काबिज कास्त है उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में विभाजन दर्ज हो जावे तथा कुऐ पर जाने का रास्ता वर्तमान अनुसार ही चालू रखा जावे ताकि पक्षकार निकल सके। बहस उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब प्रा0 पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु कभी नही रोका गया और ना ही रास्ता अवरूद्व किया गया है बल्कि अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य से कुए तक 25 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिससे सभी पक्षकार अपने-अपने हिस्से की भूमि एवं कुए पर बने मकानो में आते जाते है। तदनुसार काबिजकास्त स्थित एवं हिस्से अनुसार पक्षकारान् के मध्य बटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नही है। [signature]

प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं नकल जमाबन्दी खाता सं. नयी 283 पुरानी 276 वाके ग्राम सीतापुरा संवत 2072 एवं वर्तमान खाता सं0 नया 516 पुरानी 302 व खाता सं. नयी 302 पुरानी 283 वाके ग्राम सीतापुरा संवत 2076 का अवलोकन करने पर राजस्व रेकार्ड में नवीन खातेदार दर्ज रेकार्ड है जो कि वाद में पक्षकार नही है। अतः वाद वर्णित आराजी में दर्ज नवीन खातेदार दर्ज रेकार्ड हुए है जिन्हे प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार बनाया जाना था अथवा नही बनाने का कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये। वाद वर्णित आराजी शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड होने से एवं पक्षकारान् आपसी सहमति से हिस्सानुसार काबिज कास्त होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आवश्यक पक्षकारान् के कुसंयोजन एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को प्रार्थीगण द्वारा प्रमाणित करने में असफल होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	